इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त 2019—श्रावण 29, शक 1941

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2019

क्र. एफ-2(अ)47-2012-बी-4-दो.—पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस विनियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त विनियमों में, विनियम 70 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"70ख. विनियम 70 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पुलिस महानिदेशक के पूर्वानुमोदन से पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी आरक्षक को प्रधान आरक्षक की पंक्ति पर और पुलिस महानिदेशक के पूर्वानुमोदन से पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा प्रधान आरक्षक को सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नति किया जा सकेगा, यदि उसने नक्सल विरोधी अथवा आतंकवाद विरोधी अभियान, जो कि अदम्य साहस और जान जोखिम में डालने वाला हो, में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित की है और यदि यथास्थिति, पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है. इसी प्रकार पुलिस महानिरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक को उप-निरीक्षक एवं उप-निरीक्षक को निरीक्षक की पंक्ति पर इन्हीं आधारों पर, यदि उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाए और पुलिस महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, पदोन्नति कर सकेगा."

No. F-2(A)47-2012-B-4-2.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 46 read with Section 2 of the police Act, 1861 (V of 1861), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Regulation, namely:—

AMENDMENTS

In the said Regulations, after regulation 70, the following regulation shall be inserted, namely:—

"70B. Notwithstanding anything contained in regulation 70, a Constable may be promoted to the rank of Head Constable by the Superintendent of Police with the prior approval of the Director General of Police and a

Head Constable to the rank of Assistant Sub-Inspector by the Deputy Inspector General of Police with the prior approval of the Director General of Police if he has distinguished himself in Anti Naxal or Anti Terrorism Operation Charactersied by resolute fearlessness and danger to life and if considered suitable for promotion by the Superintendent of Police or Deputy Inspector General of Police, as the case may be. Similary the Inspector General of Police may promote an Assistant Sub-Inspector to the rank of sub-Inspector and a Sub-Inspector to the rank of an Inspector on similar ground if found suitable for promotion and subject to the prior approval of the Director General of Police.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.